[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 11/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 मार्च, 2020

सा0 का0 नि0......(अ).- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करती है जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथाउल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे ।

2. **रजिस्ट्रीकरण**.- ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रुप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड थी, आई आर पी/ आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आई आर पी/ आर पी इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा । जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा ।

3. **विवरणी**.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40 क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।

4. **इनपुट का प्रत्यय**.- (1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजको पर जो कि तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की

धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वत्तर हो, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जी एस टी आई एन द्वारा जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा ।

5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण .- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "निगमित ऋणी", ''निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक" "अंतरिम समाधान वृत्तिक" और "समाधान वृत्तिक" के वहीं अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं ।

[फा. सं0 20/06/03/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार